प्रेस नोट **दिनांक 11.11.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बावली में हुई युवक की हत्या में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल अवैध 03 तमंचे मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद।**

घटना का संक्षिप्त विवरण :–

दिनांक 09.11.2020 को वादी षुभम तोमर पुत्र योगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पटटी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि ग्राम बावली में सायं समय करीब 16:15 बजे उसके भाई षिवम उर्फ फोर्ड उम्र करीब 24 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना बडौत पर मु0अ0स0 972/2020 धारा 302, 307, 504, 506, 120बी भादवि बनाम 1–बादल उर्फ कारतूस पुत्र ऋषिपाल तोमर 2–मोनित उर्फ छोटू पुत्र प्रमोद 3–अभिषेक पुत्र अनिल निवासी पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत 4–अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :–

1–बादल उर्फ कारतूस पुत्र ऋषिपाल तोमर नि0 पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

2–शुभम उर्फ हनी पुत्र संजीव तोमर निवासी ग्राम ककौर कंला थाना छपरौली जनपद बागपत।

3–सत्यम खोखर पुत्र जनमेजय सिंह निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण :–

1–हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 तमंचे 315 बोर मय 06 जिंदा कारतूस 03 खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 होण्डा ड्रीम युगा नम्बर–यूपी 17के–9878

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के आदेशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत के कुशल निर्देशन में प्रकाष मे आये तथ्यों एवं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना बडौत पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.2020 को सुबह समय करीब 11:00 बजे मुखबिर की सूचना पर टयूबवैल जंगल ग्राम बावली से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–बादल उर्फ कारतूस पुत्र ऋषिपाल तोमर नि0 पट्टी मोल्हू ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत 2–शुभम उर्फ हनी पुत्र संजीव तोमर निवासी ग्राम ककौर कंला थाना छपरौली जनपद बागपत 3–सत्यम खोखर पुत्र जनमेजय सिंह निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 तमंचे 315 बोर मय 06 जिंदा कारतूस 03 खोखा कारतूस नाजायज व घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 होण्डा ड्रीम युगा नम्बर–यूपी 17के–9878 बरामद किया गये है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान प्रकाष में आये तथ्य :–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मृतक षिवम उर्फ फोर्ड अपनी दबंगई दिखाकर बादल के साथ कभी भी मारपीट करता रहता था। जिससे परेषान होकर बादल ने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 09.11.2020 को ग्राम बावली में षिवम उर्फ फोर्ड उम्र 24 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :–

1 थानाध्यक्ष बडौत श्री अजय कुमार शर्मा

2–उ0नि0 मुकेश कुमार

3–का0 229 देवेश कसाना
4–का0 478 अजित कुमार
5–का0 461 रोहित भाटी
6–का0 1792 वरुणवीर सिंह
7–का0 355 हरीश कुमार
8–का0 950 सचिन कुमार
9–का0 513 विपिन कुमार

- **थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वांछित बाल अपचारी गिरफ्तार।**

थाना चांदीनगर– पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.11.2020 को मु0अ0सं0 185/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 506, 452, 34, 302 भादवि में नामित वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। बाल अपचारी के विरूद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।